राज्य चिकित्सा आयुक्त कार्यालय
कर्मचारी राज्य बीमा निगम
"पंचदीप भवन", भवानी सिंह मार्ग, जयपुर –302 001
दूरभाष–0141–2220743 फैक्स–0141–2222047
E-Mail. smc- raj@esicnic.in
Website- www.esicrajasthan.com
(An ISO 9001 : 2000 Certified Office)

संख्याः 15–यू–11 / टाइ–अप(सु.स्पे.) / एसएमसी / 09 दिनांक 04.08.2009

परिपत्र

विषयः Super Speciality Treatment के तहत टाइ–अप (Tie up) व्यवस्था बाबत।

उपर्युक्त विषय में सूचित किया जाता है कि मुख्यालय, नई दिल्ली के पत्र संख्याः V-24/11/10/04- Med-1 dated 23-03-09 के अनुसार राजस्थान क्षेत्र के कर्मचारी राज्य बीमा योजनान्तर्गत लाभार्थियों (Beneficiaries) के लिए निम्न विवरणानुसार प्राईवेट अस्पतालों से अति विशिष्ट उपचार / डाइग्नोस्टिक हेतु टाइ अप (Tie up) व्यवस्था दो वर्ष के लिए की गई है:–

Sl. No.	Centre	Name of Institution/ Hospital & Address	Tie up Period	Services Provided
1	JAIPUR	**Monilek Hospital & Research Centre,** Sector-4 Jawahar Nagar, Jaipur.	1.07.2009 to 30.06 2011	Super specialized- Nepherlogy, Urology, Dialysis Renal Transplant
2	UDAIPUR	**GBH AMERICAN Hospital,** 101, Kothi Bagh, Bhatt Ji Ki Ban, Udaipur - 313 001 (Raj)	21.07.2009 to 20.07.2011	1. Cardiology 2. Cardio-thoracic Surgery 3. Neurology 4. Neuro Surgery 5. Burns and Plastic Surgery 6. Urology 7. Spine Surgery 8. Joint Replacement Surgery 9. Laparoscopic surgery 10 CT Scan
3	UDAIPUR	**Kalpana Nursing Home,** 214-C, Sardarpura, Udaipur (Raj.)	01.08.2009 to 31.07.2011	**CT Scan, MRI**

इस कार्यालय के पत्र संख्याः 15 / यू / 11 / क्षे.का. / एसएमसी / 08 दिनांक 29.04.2009 एवं समसंख्यक पत्र दिनांक 17.06.2009 के द्वारा पूर्ण प्रक्रिया दर्शायी जा चुकी है, फिर भी उक्त पत्र के तारतम्य में उक्त सुविधा का लाभ लेने के लिए पुनः प्रक्रिया निम्नप्रकार से दर्शायी जा रही है:–

1. मरीज को चिकित्सा अधीक्षक, कर्मचारी राज्य बीमा निगम मॉडल चिकित्सालय–जयपुर अथवा चिकित्सा अधीक्षक– कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल, जोधपुर / कोटा / भीलवाडा एवं पाली द्वारा रेफर (Refer) किया जाएगा।
2. विशेषज्ञ द्वारा बीमारी एवं संबंधित सुपर स्पेशियलिटी ट्रीटमेंट / डाइग्नोस्टिक का सम्पूर्ण विवरण दिया जाना अपेक्षित है जिसके आधार पर मरीजों को चिकित्सा अधीक्षक द्वारा टाइ अप किये गये अस्पतालों एवं डाइग्नोस्टिक सेन्टर को रेफर (Refer) किया जाएगा।
3. चिकित्सा अधीक्षक, कर्मचारी राज्य बीमा निगम / योजना द्वारा अति विशिष्ट उपचार हेतु मरीज को टाइ अप किये गये अस्पतालों एवं डाइग्नोस्टिक सेन्टर को तभी रेफर किया जा सकेगा, जब वे अति

विशिष्ट उपचार हेतु पात्रता की शर्त पूरा करते हों अर्थात जिस हितलाभ अवधि में अति विशिष्ट उपचार किया जाना है उस हितलाभ अवधि में मरीज बीमारी हितलाभ की पात्रता रखता हो।

4. संबंधित अस्पताल/डाइग्नोस्टिक सेंटर जिन पर टाइ अप व्यवस्था की गई है द्वारा मरीज से किसी भी प्रकार का कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। यह व्यवस्था **राशि रहित (Cash less)** होगी।

5. मरीज के इलाज का बिल भुगतान हेतु सीधे ही संबंधित टाइ अप अस्पताल द्वारा, संबंधित चिकित्सा अधीक्षक को भेजा जाएगा।

(डॉ. निशा ढींगरा)
राज्य चिकित्सा आयुक्त

प्रतिलिपिः

1. संबंधित अस्पताल/डायग्नोस्टिक सेन्टर।
2. अपर आयुक्त एवं क्षेत्रीय निदेशक, क्षे.का., कराबी निगम, जयपुर को इस अनुरोध के साथ कि वे उक्त टाइ अप संबंधी सूचना सभी संबंधितों की जानकारी में लाने का श्रम करें।
3. संयुक्त निदेशक (प्रभारी), उप क्षेत्रीय कार्यालय, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, उदयपुर को इस अनुरोध के साथ कि वे उक्त टाइ अप संबंधी सूचना सभी संबंधितों की जानकारी में लाने का श्रम करें।
4. निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, कराबी योजना, अजमेर रोड, जयपुर को इस अनुरोध के साथ कि वे उक्त टाइ अप संबंधी सूचना सभी बीमा चिकित्सा अधिकारी (प्रभारी), कर्मचारी राज्य बीमा औषधालयों, राजस्थान क्षेत्र की जानकारी में लाने की व्यवस्था करें। साथ ही बीमितों/अन्य के लिए उक्त सूचना की एक प्रति औषधालय के नोटिस बोर्ड पर लगवाने बाबत सभी बीमा चिकित्सा अधिकारी (प्रभारी), कर्मचारी राज्य बीमा औषधालयों, राजस्थान क्षेत्र को आवश्यक निर्देश जारी करें।
5. चिकित्सा अधीक्षक, कर्मचारी राज्य बीमा निगम मॉडल चिकित्सालय–जयपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. चिकित्सा अधीक्षक, कर्मचारी राज्य बीमा चिकित्सालय, कोटा/भीलवाडा/जोधपुर/पाली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. श्री ....
   .... (सदस्य, क्षेत्रीय परिषद, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, राज. क्षेत्र)
8. संयुक्त निदेशक (वित्त), क्षेत्रीय कार्यालय, कराबी निगम, जयपुर
9. उप निदेशक (प्रशासन), क्षे. का. जयपुर को **उक्त सूचना राजस्थान की वेबसाईट www.esicrajasthan.com** पर उपलब्ध करवाने हेतु प्रेषित है।
10. सहायक निदेशक (वित्त), उप क्षेत्रीय कार्यालय, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, उदयपुर।
11. सहायक निदेशक (पी. आर.) क्षेत्रीय कार्यालय, कराबी निगम, जयपुर।
12. सभी अधिकारी,, क्षेत्रीय कार्यालय, कराबी निगम,जयपुर।
13. सभी शाखाएं, क्षेत्रीय कार्यालय, कराबी निगम, जयपुर।
14. सभी शाखा प्रबंधक, कराबी निगम, राजस्थान क्षेत्र को इस अनुरोध के साथ कि उपर्युक्त विवरणानुसार टाइ अप किये अस्पताल के संबंध में सूचना आपके केन्द्र पर गठित स्थानीय समिति के सभी सदस्यों/ नियोजकों/एम्पलायर एसोसियशन/ट्रेड यूनियनों एवं सभी संबंधितों की जानकारी में लावे एवं बीमितों की जानकारी हेतु उक्त सूचना की एक प्रति कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर लगाना सुनिश्चित करें।
15. सूचना पट्ट (15) गार्ड फाईल। (16) एक प्रति वैबसाईट पत्रावली।